नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रतिवादी सं० 7 के नाम के आगे लाल स्याही से (वाद पत्र में फौत अंकन नाम हज़फ) दर्ज/अंकन किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी शेष पक्षकार हेतु दिनांक 27-8-19 को पेश हो।	
3.19	पत्रावली पेश हुयी वकील वादीगण उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार मिसिल दिनांक 29-8-19 को पेश हो।	
3.19	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं० 5, 12, 15, 18, 23, 24 की तामील सम्यक रूप से होना पायी। उक्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। इनको बार बार आवाज दिलायी गयी। बावजूद आवाज अनुपस्थित रहे अतः प्रतिवादीगण सं० 5, 12, 15, 18, 23, 24, के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादीगण की ओर से एक प्रा० पत्र इस आशय का पेश हुआ कि वाद ग्रस्त भूमि वादीगण का रहन है। वादीगण का उक्त रहन भूमि ख० नं० 327० पर दर्ज का उक्त रहन भूमि ख० नं० से रहन हज़फ कर दिया जाये। ऋण चुकाने के लिए पाबन्द है। अतः Axis Bank शाखा खजेला का रहन ख० नं०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	3270 पर वादीगण के दर्ज किया जावे। वादीगण की ओर से सपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षण हेतु PW-1 ता PW3 पेश किया जो शामिल मिसल किये गये। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र बाबत [illegible] वादीगण के दर्ज करने पर बहस वकील वादीगण सुनी गयी। जिसमे वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वाद ग्रस्त भूमियों में वादीगण द्वारा लोन लिया गया है जो वादीगण के मकबूजा भूमि ख० न० 3270 पर रखा जाये। वादीगण उक्त ऋण को चुकाने हेतु पाबन्द है। बहस सुनी गयी। वादीगण लोन चुकाने हेतु स्वयम पाबन्द हुए है। अतः तदनासिक रखने के वादीगण की प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है। वकील वादीगण ने बहस मूल वाद करनी चाही। तर्क बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 30-8-19 को पेश हो
30.8.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय अवलोकन की गयी। वकील वादीगण के बहस तर्क सुने जा चुके है। सपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षण PW-1 ता PW-3 का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रतिवादीगण सं० 2, 9, 10, 13, 16, 20 व 22 के व अन्य शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। बाद सम्यक तामील उपरान्त भी ~~अन्य~~ प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से यह अवधारित है कि प्रतिवादीगणों को वादीगण के वाद एवं वाद पत्र के अनुसार वांछित अनुतोष से कोई असहमति नहीं है। वादीगण ने वाद पत्र में अंकित कथन के साथ-साथ तर्क बहस में स्पष्ट किया है कि वादीगण खाता सं० नया 80 के सहखातेदार है एवं बाहमी बटवारे के अनुसार ख० नं० 3270 रकबा 0.38 हे० पर लम्बे समय से काबिज काश्तकार है अतः इनका अलग खाता कायम किया जावे। संयुक्त खातेदारी भूमि में चूंकि मीरास एवं वारिसान के आधार पर प्रत्येक इंच-इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक होता है, परन्तु वादीगण सहखातेदार के रूप में उक्त खाते के ख० नं० 3270 पर अपने हक हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारे के आधार पर काबिज है लम्बे समय से काबिज काश्त है। एवं भूमि सुधार हेतु पर्याप्त निवेश किया है अतः यह विशिष्ट हिस्सा वादीगण के हक हिस्से में रखा जाना विधिसम्मत व न्यायोचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 व 21	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	में व्यवस्था है कि ~~यथासम्भव~~ यथासम्भव किसी भी खातेदार की भूमि का टुकड़ा रकबा दिया जाना चाहिए और उसके हक हिस्सा से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। अतः वादी का वाद उसके हक हिस्से तक साबित मानने योग्य है। प्रतिवादी सं० 7 फौत हो चुका है परन्तु खाते में नाम है उसके वारीसान रिकार्ड पर हो। अतः उनकी जिम्मेदारी है कि वो खाते से फौत शुदा नाम हटाकर करवाये। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि :-
	आदेश
	राजस्व ग्राम मेहरो की ढाणी, तहसील खण्डेला जि० की भूमि ख० नं० 3269, 3270, 3271 व 3272 कुल किता 4 कुल रकबा 2.71 है० में से भूमि ख० नं० 3270 रकबा 0.38 का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण द्वारा लिया गया बैंक ऋण ख० नं० 3270 पर दर्ज किया जावे। उक्त खसरे से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 24 का इन्द्राज हटाया किया जावे। शेष ख० नं० से वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे। इसी भांति डिक्री जारी हो। इसी भांति राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.8.19 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया। ह० 30/8/19 उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला .मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस)

मु.न. 100/2019

1. कृष्णकुमार
2. शिम्भूकुमार पुत्रगण महावीर प्रसाद जाति वाहम्ण निवासी वार्ड न.11 तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान (वादीगण)

बनाम

1. सुधीर कुमार पुत्र हरदयाल
2. अनिल कुमार पुत्र रमेशचंद
3. इन्द्रा देवी पुत्री विश्वनाथ
4. कृष्ण कुमार पुत्र कमलनयन
5. गुलाबी देवी पत्नी मदनमोहन
6. चन्दा पत्नी बाबूलाल
7. जमना पुत्र लालचंद (वाद पत्र में फौत अंकन, नाम हजफ)
8. तुलसीदास पुत्र कमलनयन
9. देवदास पुत्र कमलनयन
10. पुष्पा देवी पुत्री विश्वनाथ
11. पिन्टू पुत्र बाबूलाल
12. बसंत पुत्र मदनमोहन
13. मनोज कुमार
14. महेन्द्र कुमार पुत्रगण स्व0 बाबूलाल
15. महेन्द्र पुत्र मदनमोहन
16. रेणु देवी पुत्री विश्वनाथ
17. ललिता देवी पुत्री कमलनयन
18. शांति देवी पुत्री मदनमोहन
19. शारदा देवी पुत्री कमलनयन
20. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द
21. सरिता पुत्री विश्वनाथ
22. सुशीला पुत्री विश्वनाथ
23. हेमन्त पुत्र मदनमोहन
24. हेमराज पुत्र मदनमोहन

समस्त जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 11 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान

(प्रतिवादीगण)

दावा अन्तर्गत धारा (53,88,188 आर.टी.एक्ट)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री सुभाष चन्द शर्मा,एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है राजस्व ग्राम मेहरों की ढाणी तह0 खण्डेला जिला सीकर राजस्थान की भूमि ख0न0 3269 ,3270 ,3271 व 3272 कुल किता –4 कुल रक्बा 2.76 है0 में से भूमि ख0न0 3270 रकबा 0.38 का वादीगण को बहिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण द्वारा लिया गया बैंकऋण ख0न0 3270 पर दर्ज किया जावे। उक्त खसरे से प्रतिवादीगण स0 1 ता 24 का नाम हजफ किया जावे। शेष ख0न0 से वादीगण का नाम हजफ किया जावे । इसी भांति राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 08 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
उपजिलाधिकारी
खण्डेला (सीकर)
ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner